(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 22/2024–2025
दिनांकः 3 सितम्बर, 2024

विषयः संयुक्त राज्य राजकोषीय वर्ष 2025 हेतु टीआरक्यू स्कीम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को 8606 मीट्रिक टन अस्थाई मूल्य खांड का आवंटन।

विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा संयुक्त राज्य राजकोषीय वर्ष 2025 हेतु टीआरक्यू स्कीम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को खांड के निर्यात के लिए 8606 मीट्रिक टन अस्थाई मूल्य की मात्रा का आवंटन करते हैं।

2. टीआरक्यू के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात अधिसूचना सं. 3/2015–20 दिनांक 20.04.2015 के अनुसार उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों के स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन 'मुक्त' है।

3. यूएसए को चीनी के तरजीही निर्यात के लिए उदगम प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो, इकाई और मात्रा जिसके लिए पात्र है के संबंध में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की सिफारिश पर अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को चीनी के निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन आवश्यकता, यदि कोई हो, का पालन किया जाना जारी रहेगा।

4. संयुक्त राज्य अमेरिका को टीआरक्यू मदों के निर्यात हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली द्वारा कोटा प्रचालित होगा।

5. अधिसूचना सं. 20 दिनांक 07.09.2015 के साथ पठित अधिसूचना सं. 03/2015–2020, दिनांक 20.04.2015 द्वारा यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग की आवश्यकता का अनुपालन किया जाएगा।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

दिनांक 01.10.2024 से 30.09.2025 तक टीआरक्यू स्कीम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने के लिए 8606 मीट्रिक टन अस्थाई मूल्य खांड की मात्रा को अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी 3.9.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/060/एएम23/ईसी/ई–33997 से जारी)